राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	143 / 2005	राम अवतार शर्मा	1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. उप शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन भवन, जयपुर। 4. मुख्य वन संरक्षक, Departmental Operations] अरावली भवन, जयपुर। 5. Shri Onkar Lal Meenariya, Dy. Conservator of Forest at Present posted as Dy. Conservator of Forest, Technical Advisor to the Chief Conservator of froest, Jodhpur C/o The principal, Chief conservator of forest, Van Bhawan, Jaipur.
2.	1491 / 2007	राम अवतार शर्मा	1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान वन भवन, जयपुर।
3.	2981 / 2007	राम अवतार शर्मा	1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान वन भवन, जयपुर।
4.	2587 / 2008	राम अवतार शर्ता	1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान वन भवन, जयपुर।

आदेश की दिनांक : 23.01.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : अपीलार्थी स्वयं उपस्थित

निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित चारों अपीलें एक ही अपीलार्थी द्वारा अपने सेवा सम्बन्धी विवाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी है। चूंकि चारों अपीलें एक ही अपीलार्थी की है,

ऐसे में चारों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

2. उपरोक्त समस्त अपीलों में अपीलार्थी ने मुख्य रूप से यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को रेंजर ग्रेड–प्रथम के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1977 में चयनित किया गया। अपीलार्थी को रेंजर ग्रेड–प्रथम के लिये प्रशिक्षण सत्र 1977–79 के स्थान पर वर्ष 1978–1980 के लिये भेजा गया। अपीलार्थी द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अपीलार्थी को प्रशिक्षण पुरा करने के पश्चात आदेश दिनांक 31.12.1979 के आदेश द्वारा नियुक्ति प्रदान की गयी। अपीलार्थी के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–प्रथम के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण वर्ष 1977–79 के लिये भेजा गया, जबकि अपीलार्थी को विलम्ब से प्रशिक्षण अवधि 1978–80 के लिये भेजा गया था। अपीलार्थी जब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था तब कुछ दिन पश्चात ही वर्ष 1978 में चयनित क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–प्रथम के उम्मीदवारों को भी वर्ष 1978–80 के लिये प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। नियुक्ति आदेश में अपीलार्थी का नाम वर्ष 1978 में चयनित उम्मीदवारों के साथ जोड़ा गया। अपीलार्थी ने अपना नाम वर्ष 1978 में चयनित क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–प्रथम के साथ जोड़ना गलत बताते हुए आवश्यक संशोधन हेतु निवेदन किया, परन्तु उनकी प्रार्थना पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अपीलार्थी को बाद में वर्ष 1977 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–प्रथम के पद पर चयनित उम्मीदवारों के समकक्ष मानते हुए वरिष्ठता प्रदान की गयी। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि दिनांक 15.12.1992 को क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–प्रथम की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी, जिसमें अपीलार्थी को क्रम संख्या–70 में दर्शाया गया और अपीलार्थी के नाम के आगे प्रोविजनल अंकित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की वरियता प्रोविजनल रखी गयी। अपीलार्थी ने अपनी वरिष्ठता ठीक कराने हेतु एक अभ्यावेदन भी प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत किया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके पश्चात अपीलार्थी ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान के समक्ष अपील संख्या 230/1992 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने आदेश दिनांक 06.05.1994 पारित किया, जिसमें अपीलार्थी के सम्बन्ध में अधिकरण ने यह आदेश पारित किया कि अपीलार्थी को एसीएफ के पद पर पदोन्नति का लाभ उसी दिनांक से दिया जाए, जबसे उनसे कनिष्ठ वीरपाल राणा को आदेश दिनांक 10.06.1992 के द्वारा लाभ दिया गया था एवं अपीलार्थी को वित्तीय लाभ भी पदोन्नति की दिनांक से प्रदान किया जाए। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किये है कि

प्रत्यर्थी विभाग ने सहायक वन संरक्षकों की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची दिनांक 11.11.2003 जारी की है, जिसमें अपीलार्थी को क्रम संख्या 20 पर दर्शाया गया है। अपीलार्थी की ओर से उक्त प्रोविजनल वरियता सूची के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, परन्तु उसके अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन में यह अंकित किया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–प्रथम के पद से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने के उपरान्त ही अपीलार्थी की वरियता निर्धारित नहीं की गयी। बाद में प्रत्यर्थी विभाग ने सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यरत अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 16.06.2004 को जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–35 पर रखा गया और अपीलार्थी के नाम के आगे प्रोविजनल अंकित किया गया। अपीलार्थी ने उक्त वरीयता सूची के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि अपीलार्थी को ओंकार लाल मेनारिया क्रम संख्या–17 के ऊपर निर्धारित किया जाये। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 27.12.2004 को आदेश जारी कर वर्ष 2003–04 व 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक वन संरक्षकों से उप वन संरक्षक के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया है, परन्तु अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्रदान नहीं किया गया, जबकि औंकार लाल मीनारिया को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है।

3. अपील संख्या–143/2005 में अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को जनवरी, 1977 में चयनित मानते हुए उसे समस्त लाभ प्रदान किये जाए। अपीलार्थी को उसी अनुसार वरिष्ठता भी प्रदान की जाए।
4. अपील संख्या–1491/2007 में अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है दिनांक 28.01.1977 से 04.02.1980 तक अपीलार्थी को सेवा में मानते हुए लाभ प्रदान किया जाए।
5. अपील संख्या 2981/2007 में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 30.08.2007 (अनुलग्नक–1), 28.11.2007 (अनुलग्नक–2) व आदेश दिनांक 12.12.2007 (अनुलग्नक–19) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची में भंवर लाल बेनिवाल व लाल सिंह जाट के मध्य वरिष्ठता प्रदान की गयी है।
6. अपील संख्या–2587/2008 में भी अपीलार्थी ने दिनांक 28.01.1977 से 04.02.1980 की अवधि को सेवा में मानते हुए लाभ प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है।
7. उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 5820/1991 प्रस्तुत की थी, जिसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय

द्वारा दिनांक 24.04.1997 को किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से आदेश पारित किया है :–

> "It is the contention of the petitioner that the seniority is liable to be maintained according to the actual date of recruitment directly made by competitive examination and subsequent amendment cannot be used for the purposes of making a different Seniority List on different criterion. The law available on the date the recruitment was made is liable to be applied unless the amendment is specifically retrospective in nature stated to be so by the amending provision.
>
> In the instant case there is no such stipulation that clause (3) (a) of rule 29 was added with retrospective effect and consequently the seniority of Ranger Grade-I directly recruited will have to be arranged in accordance with rule 29(3) of the Rules as they stood prior to insertion of clause (3) (a) This position of law cannot be disputed.
>
> In the result, the petition must succeed and is allowed. The respondents are directed to prepare the Seniority List of persons directly recruited as Ranger Grade I in accordance with rule 29(3) without taking into consideration the subsequent addition of clause (3)(a) the list shall be provisional and shall be duly published, inviting objections to the List so made. In order to obviate any further complications and litigations. There will be no orders as to costs."

8. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपील संख्या 143/2005 में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया है कि अपीलार्थी का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 20 के अन्तर्गत जनवरी, 1977 में किया गया। उक्त नियम के नियम 20(एच) के अनुसार चयन के पश्चात् अपिलार्थी को मेडिकल परीक्षा के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष भेजा गया लेकिन मेडिकल परीक्षा में अपीलार्थी के सफल नहीं होने के कारण इन्हें नियम 20(1) के अनुसार 1977 में चयनित रेंजर बैंच के साथ प्रशिक्षण में नहीं भेजा जा सका तथा पुनः इनका मेडिकल कराये जान पर मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रार्थी को सफल घोषित किया गया, किन्तु तब तक रेंजर प्रशिक्षण कोर्स 1977–79 प्रारम्भ हो चुका था। अतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन्हें वर्ष 1978 में चयनित अभ्यार्थियों के साथ सी.एफ.आर.सी चन्द्रपुर, महाराष्ट्र मे 2 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। अपीलार्थी के प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करके वर्ष 1980 लौटने पर उसे नियम 23 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी ट्रेनिंग के दौरान केवल केडिट था एवं

उसे केवल स्टाईफण्ड मिलता था। नियमो के अनुसार सीधी भर्ती के क्षेत्रीय प्रथम की वरिष्ठता राज.वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 29(3) के अन्तर्गत निर्धारित की जाती हैं। इसके अनुसार एक ही बैंच की आपस में वरिष्ठता प्रशिक्षण कॉलेज में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाती है। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के अनुसार उसका चयन 1977–79 बैंच के साथ हुआ। इसलिए उसकी वरिष्ठता उसी बैंच के साथ निर्धारित की जानी चाहिए, के संबंध में कथन है कि अपीलार्थी यद्यपि 1977 में मेडिकल परीक्षा में सफल घोषित नहीं हुआ था लेकिन फिर भी इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया व राज्य सरकार के पत्रांक एफ 13(79)बन/91 दिनांक 29.01.92 के द्वारा दिये गये मार्गदर्शन एवं राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 29(3) के अन्तर्गत प्रार्थी का वरिष्ठता सूची में नाम वर्ष 1977–79 रेंजर प्रशिक्षण बैंच के अभ्यार्थियों में शुमार करते हुए इसकी वरिष्ठता 1977–79 बैच के श्री भंवर लाल बेनीवाल एवं श्री लाल सिहं जाट के मध्य निर्धारित की गई हैं। जो राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम 1963 की अनुपालना में जारी किये गये हैं एवं वैद्य है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.12.2007 के अपीलार्थी की वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार किया जा चुका हैं। अपीलार्थी का चयन राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 20 के अन्तर्गत जनवरी, 1977 में किया गया। उक्त नियम 20(एच) के अनुसार चयन के पश्चात् इसको मेडिकल एक्जामिनेशन के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष भेजा गया। अपीलार्थी के मेडिकल परीक्षा में सफल नहीं होने के कारण उन्हें नियम 20(1) के अनुसार 1977–79 रेंजर्स कोर्स प्रशिक्षण में नहीं भेजा गया। मेडिकल बोर्ड ने अपीलार्थी को सफल घोषित किये जाने पर इन्हें 1978–80 बैंच के केडेटस के साथ सी.एफ.आर.सी, चन्द्रपुर महाराष्ट्र हेतु प्रशिक्षण में भेजा गया। अपीलार्थी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करके 1980 में वापिस आया एवं उसे नियम 23 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी की राज्य सेवा मे नियुक्ति फरवरी, 1980 में हुई। ट्रेनिंग के दौरान अपीलार्थी केडेट था एवं उसे स्टाई फन्ड मिलता था। अपीलार्थी की वरिष्ठता नियम 29(3) के अन्तर्गत की जाती है। इसके अनुसार एक ही बैच की आपस में वरिष्ठता प्रशिक्षण कालेज में प्राप्त अंको के आधार पर की जावेगी। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन पैरा किया कि उसका चयन 1977–78 बैच के केडेट के साथ हुआ है, इस कारण इसकी वरिष्ठता उसी बैच के साथ की जानी चाहिए। अपीलार्थी यद्यपि 1977 मे मेडिकल परीक्षा में सफल घोषित नहीं हुआ था फिर भी इस संबंध में राज्य सरकार से राय ली गई। राज्य सरकार ने निर्देश दिये कि इसे 1977–79 के बैच के साथ इसकी

वरिष्ठता निर्धारित की जावे। अपीलार्थी द्वारा 1978–80 के बैच में प्रशिक्षण के दौरान जो अंक प्राप्त किये थे व उनको 1977–79 के बैच में प्राप्त किया माना जावे। प्रशिक्षण कालेज सी.एफ.आर.सी., चन्द्रपुर महाराष्ट्र एवं एफ.आर.आई. देहरादून से 1977–79 एवं 1978–80 के बैच के केडेट के अंक भेजने के लिए बार–बार पत्राचार किया गया, जो प्राप्त होने पर अपीलार्थी को 1977–79 रेन्जर प्रशिक्षण बैच में शुमार करते हुए उसकी वरिष्ठता निर्धारित की गई, जो नियमानुसार एवं उचित है। अपीलार्थी की प्रार्थना कि उसे जनवरी, 1977 को नियुक्ति दी जावे, खारिज करने योग्य है, क्योंकि राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम, 1963 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मेडिकल परीक्षा में सफल होने पर एवं रेन्जर्स प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद ही नियम 23 के अन्तर्गत राज्य सेवा में नियुक्ति दी जा सकती है।

9. हमने पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को जनवरी, 1977 से सेवा में नियुक्त माना जाकर तद्नुसार वरिष्ठता का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाएं। यह तथ्य अविवादित रहा है कि अपीलार्थी को चयन के पश्चात मेडिकल परीक्षा के लिये मेडिकल बोर्ड में भेजा गया था, परन्तु अपीलार्थी मेडिकल परीक्षा में सफल नहीं होने के कारण अपीलार्थी को वर्ष 1977 में चयनित रेंजर के बैच के साथ प्रशिक्षण में नहीं भेजा तथा अपीलार्थी का पुनः मेडिकल कराया जाकर उसके सफल घोषित होने के बाद उसे रेंजर प्रशिक्षण कोर्स में भेजा गया। तब तक वर्ष 1977–79 का बैच प्रारम्भ हो चुका था। अतः अपीलार्थी को वर्ष 1978 के चयनित अभ्यर्थियों के साथ प्रशिक्षण में भेजा गया। वर्ष 1980 में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपीलार्थी को नियुक्ति प्रदान की गयी। यह भी प्रकट हुआ है कि नियमों के अनुसार सीधी भर्ती से नियुक्त रेंजर प्रथम की वरियता राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के नियम 29(3) के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है। जिसके अनुसार एक ही बैच में आपस में वरिष्ठता प्रशिक्षण कॉलेज में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाती है। यद्यपि अपीलार्थी का चयन वर्ष 1977–79 के साथ हुआ था, जबकि उसका प्रशिक्षण वर्ष 1978–80 के बैच के साथ हुआ। अपीलार्थी को 1977–79 के रेंजर के बैच में वरिष्ठता प्रदान की जाए अथवा अपीलार्थी को वर्ष 1978–80 के बैच के साथ वरिष्ठता प्रदान की जाए, इस सम्बन्ध में असमंजस की स्थिति होने के कारण अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रोविजनल रखी गयी थी। अपीलार्थी ने समय समय पर प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये। अन्त में अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.11.2007, जो अपील संख्या

2981/2007 में अनुलग्नक–2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, के द्वारा निर्णित किया, जिसमें अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि अपीलार्थी का वर्ष 1977–79 का चयन मानते हुए अपीलार्थी को वरिष्ठता प्रदान की जाए। इस प्रकार अपीलार्थी को वर्ष 1977–79 के साथ वरिष्ठता प्रदान किये जाने का लाभ अपीलार्थी को प्रदान किया जा चुका है। इसके उपरान्त अपीलार्थी की वरिष्ठता के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 12.12.2007 के द्वारा भंवर लाल बेनिवाल एवं लाल सिंह जाट के मध्य वरिष्ठता प्रदान की गयी। इस प्रकार अपीलार्थी ने वर्ष 1977–79 में वरिष्ठता प्रदान किये जाने की जो प्रार्थना की है, वह अपीलार्थी को प्रदान की जा चुकी है, जो अपीलार्थी को उसके द्वारा वर्ष 1978–80 के सत्र में प्राप्तांकों के आधार पर प्रदान की गयी है, जिसमें हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

10. अपीलार्थी की यह भी प्रार्थना रही है कि अपीलार्थी को वित्तीय लाभ भी प्रदान किये जाए। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन पर आदेश दिनांक 28.11.2007 में प्रत्यर्थी विभाग ने यह माना है कि अपीलार्थी को धनराशि की हानि मेडिकल अनफिट होने के कारण हुई है। अपीलार्थी के प्रति कोई द्वेषपूर्ण भाव नहीं रहा है। हम यह पातें है कि अपीलार्थी वर्ष 1977 में प्रशिक्षण हेतु नहीं गया था और वर्ष 1988 में प्रशिक्षण हेतु गया था। ऐसे में अपीलार्थी को वर्ष 1977 से वित्तीय लाभ प्रदान किया जाए, यह उचित नहीं है। हम यह भी पातें है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त अभ्यावेदनों पर निर्णय प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.11.2007 के द्वारा दिया गया है, जिसमें कोई नियम विरूद्धता और त्रुटि नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त अपीलों में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप समस्त अपीलें खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलें एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)